न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 134/016

तारीख रजू 28.11.2016

सूरजमल पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति महाजन निवासी तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली

:—अपीलान्ट

बनाम

1 धनपाल पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
2 श्रीमति सन्तो देवी पत्नि मॉगीलाल जाति मीना निवासी तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा
3 रामस्वरूप पुत्र मूला जाति मीना निवासी मैदपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
4 रकमसिंह पुत्र रामनाथ
5 शीला पुत्री रामनाथ
6 रेखा पुत्री रामनाथ
7 पूजा पुत्री रामनाथ
8 रूकमणी पत्नि रामनाथ
9 संतराज पुत्र बाबूलाल
10 रामनाथी पुत्री बाबूलाल
11 रामकली पुत्री बाबूलाल
12 सीता पुत्री बाबूलाल
13 सुखनवाई पत्नि बाबूलाल

सभी जातियान मीना निवासीयान तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली

14 सरपंच ग्राम पंचायत बापौती तहसील सपोटरा जिला करौली

— रेस्पोडेण्ट

अपील व नाराजगी आदेश सरपंच ग्राम पंचायत बापोती दिनांक 05.04.2016 नामान्तकरण संख्या 765 जिसके तहत धनपाल ने खसरा नं. 546 के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण श्रीमति सन्तो देवी के नाम है के विरूद्व

निर्णय

दिनांक 30.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि अपीलान्ट की ओर से वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण

है जिसको धनपाल बगै को दे रखी है इस आराजी का (एक्सचेन्ज) अदला बदली करीबन 40–50 साल से की हुई है। खसरा नं. 546 मे कुआ खुदा कर विधुत कनेकशन तथा दोपल्ला पाटोर कठेर नीबू सीसम इत्यादी के पेड़ अपीलान्ट के द्वारा लगा रखे है। धनपाल आदि कुछ समय से इस भूमि से बेदखल करने की फिराख में ओर मुझ अपीलान्ट के साथ भंयकर मारपीट भी की है जिसका चालान न्यायालय में पेश हो चुका है। इस भूमि को मौका उपजिला कलक्टर सपोटरा द्वारा ही देखा गया जिसमे भूमि पर मेरा ही कब्जा मिला है। भूमि का पूर्व में अदला बदली हो गई है। आराजी काफी कीमती हो जाने के कारण रेस्पोडेन्ट की नीयत में वदयान्ती आ जाने पर आये दिन झगडा आदी करके भूमि को हडपना चाहता है। यह नामान्तकरण गुपचुप तरीके से दर्ज किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्टी को 13.10. 2016 को पता चलने के बाद नियमानुसार नकल ली जाकर श्रीमान की सेवा मे दफा 5 का प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 765 निर्णय दिनांक 05. 11.2016 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया जो जरिये वकालान्तन उपस्थित आया किन्तु दिनांक 05.08.2019 को इस प्रकरण में पैरवी करने से मना किया।

वकील अपीलान्ट की वहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपने वहस कथन में कहा गया की खसरा नं. 420 अपीलान्टी की खातेदारी है। ओर खसरा नं. 546 धनपाल आदि की खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट एवं धनपाल आदि के मध्य 40–50 वर्ष पूर्व आपसी राजीनामा के अनुसार अदला बदली कर दी गई जिसमे खसरा नं. 546 पर अपीलान्टी एवं 420 पर धनपाल आदि अदलावदली से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। मेरे द्वारा इस आराजी में कुआ आदि खोद कर विधुत कनेक्सन लगाया हुआ है ओर भूमि में पाटोर पेश नीबू शीसम, बबूल आदि के पेड़ लगे हुए है। भूमि पर मेरा ही कब्जा है। नामान्तकरण बिना कब्जे के आधार पर गुपचुप तरिके से खोला गया है। जिसे निरस्त फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिर्कार्ड एवं नामान्तकरण संख्या 765 बाके ग्राम तुरसंगपुरा का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह नामान्तकरण बिक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करते हुए तस्दीक हुआ है। जहा पर वकील

भी बिचाराधीन होना बताया है। नामान्तकरण सतत प्रकिया होने पर आदेश से ही भरा जाता है। न कि मौके के कब्जा अनुसार। इस प्रकार से इस हस्तगत प्रकरण में कब्जे के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अनुतोस चाहा गया है, जो नामान्तकरण से नही मिलता है। हस्तगत प्रकरण कब्जे के आधार पर होने के कारण चलने योग्य नही है। अपीलान्टी कब्जे के सम्बंध में अन्य प्रकरण सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने में स्वतंत्र है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 765 निर्णय दिनांक 05.06.2016 बाके ग्राम तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा की सारहीन,तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाति है।

निर्णय आज दिनांक30 .08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली